

33/11/225

घनश्याम बनाव सांवरलाल

तारीख पेशो	बनाव 2011/00061 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री <u>जी. ए. बी. नारायण</u> श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
2.11.18	<p>अपील संख्या 2011/00061 बउनवानी घनश्याम बनाव सांवरलाल वगैरह, आदेश दिनांक 02.11.2018</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की अपील में बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क, ब्यावर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 18.01.2011 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया गया कि वे मौजा दौलतपुरा बनाईयान तहसील ब्यावर के हाल खसरा नम्बर 159/1 की यथास्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण 5 तहसीलदार, ब्यावर उचित कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं के आदेश देते हुए, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 24.03.2011 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 18.01.2011 के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो वर्तमान में तलबी नोटिस अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी हेतु नियत हैं। अपील में अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी में समय व्यय होगा एवं अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं हैं। पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क, ब्यावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक मौजा दौलतपुरा बनाईयान तहसील ब्यावर के हाल खसरा नम्बर 159/1 रकबा 00-01-00 बीघा की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे एवं प्रार्थी/अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	श्रीमानजी, S.D.O Bawar का पत्रिका 2982 दि-14-11-18 को प्राप्त L.C का रिपोर्ट मिश्रवाणी हाजा